बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1580.00 करोड़ (पन्द्रह सौ अस्सी करोड रू0 मात्र) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में 490.00 करोड़ (चार सौ नब्बे करोड रू0 मात्र) एवं कम्पनी के निबंधन के लिए 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०–K-15016/157/2015-SC-I दिनांक–28/06/2017 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य मुजफ्फरपुर शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से मुजफ्फरपुर शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्षेत्र–आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएँ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड़ो का उपयोग कर सकेंगे। इससे यहाँ के नागरिकों का चहुँमुखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगा, जिससे मुजफ्फरपुर शहर के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक SPV कम्पनी "मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह SPV कम्पनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होगी तथा इसका निबंधित कार्यालय मुजफ्फरपुर शहर में अवस्थित होगा। कम्पनी का उद्देश्य मुजफ्फरपुर शहर को 2021 तक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार कराना, मूल्यांकन, स्वीकृति राशि की विमुक्ति, प्रबंधन, संधारण, अनुश्रवण तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यों को सम्पादित किया जाना है।

2. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्त्रोत फंडिग पैटर्नः–

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत राशि 1580.00 करोड़ (पन्द्रह सौ अस्सी करोड रू0 मात्र) रूपये हैं, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 980.00 करोड़ (नौ सौ अस्सी करोड़ रू0 मात्र) रूपये में 50:50 के अनुपात में होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को अपनी हिस्सेदारी की राशि 490.00 करोड़ (चार सौ नब्बे करोड़ रू0 मात्र) रूपये के अतिरिक्त SPV के पंजीकरण हेतु 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये का व्यय भार वहन करना होगा। Convergence of ongoing Govt. of India schemes and Govt. of Bihar Schemes and ULB own sources से अनुमानित क्रमशः 37.00 करोड़, 114.00 करोड़, 172.00 करोड़ कुल–323.00 करोड़ (तीन सौ तेईस करोड़ रू0 मात्र) रूपये तथा जन निजी भागीदारी (PPP) से अनुमानित 277.00 करोड़ (दो सौ सतहतर करोड़ रू0 मात्र) रूपये की धनराशि प्राप्त होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में चलाया जायेगा और केन्द्र सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में प्रति वर्ष 100 करोड़ (सौ करोड़ रू0 मात्र) रूपये की राशि दी जायेगी। इतनी ही राशि का योगदान, समान आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार, स्मार्ट सिटी विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ (एक हजार करोड़) रूपये की धनराशि सरकार/यूएलबी को उपलब्ध होगी। भारत सरकार

की निधियां और राज्य सरकार द्वारा समान योगदान परियोजना लागत के एक भाग को पूरी कर पायेंगे। शेष निधियां निम्नलिखित से जुटाने की प्रत्याशा है :–

i. राज्यों/यूएलबी को अपने स्वयं के स्त्रोतो से जैसे प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, लाभार्थी प्रभार और प्रभाव शुल्क, भूमि के मुद्रीकरण, उधार और ऋण आदि।

ii. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण हस्तांतरित अतिरिक्त संसाधन।

iii. नवीकृत वित्तपोषण तंत्र जैसे यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग के साथ नगरपालिका बांड, सामूहिक वित्त तंत्र, कर सवंर्धित वित्तपोषण (टीआईएफ)।

iv. केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमें जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)।

v. वित्तीय संस्थानों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहित धरेलु और बाह्य दोनों स्त्रोतो से लीवरेज उधार बढ़ाकर।

vi. राज्य/संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ), जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2015 के अपने बजट भाषण में की गई है और जिसके इसी वर्ष गठन की संभावना है, से भी सहायता ले सकते हैं।

vii. पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र।

3. मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के अधीन मदवार व्यय निम्न प्रकार होंगे :–

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत व्यय 1580.00 करोड़ (पन्द्रह सौ अस्सी करोड रू0 मात्र) रूपये हैं, जिसमें क्षेत्रीय आधारित विकास (Area based development) के व्यय हेतु 1268.00 करोड़ (बारह सौ अड़सठ करोड रू0 मात्र) रुपये जबकि पैन सिटी (Pan City Development) के विकास हेतु 312.00 करोड़ (तीन सौ बारह करोड़ रूपये मात्र) रुपये कर्णांकित किया गया है :–

MUZAFFARPUR SMART CITY PROPOSAL
DETAILS OF PROPOSED AREA BASED DEVELOPMENT AND PAN CITY INITIATIVE

	KEY COMPONENTS	ESTIMATED COST (RS.Crores)
A	**AREA BASED DEVELOPMENT : Rs. 1268.00 Crores**	
1	Goal 1: SUGAM: A Well connected city with seamless mobility	298.79
2	Goal 2: SAMRIDH: An economically Vibrant and prosperous city	239.87
3	Goal 3: SUDRIDH: A well-functioning smart city.	316.76
4	GOAL 4: SATVIK: An eco-friendly city-ecologically aware and sensitive citizens	128.98
5	Goal 5: SATAT: A city steering towards sustainable growth	223.23
	Technical & Admin support @5%	60.37
B	**PAN CITY INITIATIVE : Rs. 312.00 Crores**	
1	Goal 6: SUSHASIT: A city government with commitment to excellence	
a	Intelligent Transport System	40.00

b	Intelligent Street Lighting	228.00
c	Unified City Governace	16.00
	Technical & Admin support @10%	28.00
	TOTAL COST OF SMART CITY PROPOSAL	**1580.00**

उपरोक्त व्यय की राशि डीपीआर बनने के पश्चात् एवं Convergence, PPP एवं CSR के अन्तर्गत राशि उपलब्धता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।

4. कार्यान्वयन रणनीति :–

नगर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित SPV कम्पनी मुजफ्फपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। यह कम्पनी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, निधियां के जारी, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन निगरानी तथा आकलन करेगा। इस SPV के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर होंगे एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा। पूर्ण कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की नियुक्ति/पदस्थापन होने तक नगर आयुक्त, मुजफ्फपुर नगर निगम, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में होंगे तथा इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि नामित होंगे। मुजफ्फपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी की कार्यान्वयन MoA एवं AoA में अंकित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

5. कम्पनी की अधिकृत पूँजी (Authorized capital) **400 करोड़ (चार सौ करोड़) रुपये** जिसमें **100 रू०** के चार करोड़ शेयर होंगे। आवश्यकतानुसार अधिकृत कम्पनी के निदेशक मंडल को पूँजी को घटाये या बढ़ाये जाने का अधिकार निहित होगा।

कम्पनी का प्राथमिक सूचीबद्ध मूल्य (Paid up capital) सूचीबद्ध होने के समय **10 लाख (दस लाख) रुपये** होंगे, जिसमें मुजफ्फपुर नगर निगम एवं राज्य सरकार बराबर के हिस्सेदार होंगे।

कम्पनी के शेयर होल्डर निम्नवत् होंगे:–

क्र०सं०	शेयर होल्डर का नाम	शेयर की संख्या
1	प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार सरकार।	1000
2	प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग।	1000
3	प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर बिहार।	1500
4	प्रबंध निदेशक, बुडको।	500
5	निदेशक, नगर प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।	500
6	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार।	500
7	नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम	5000

6. मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निम्नवत होंगें :–

i. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर – Chairman

ii. प्रतिनिधि–भारत सरकार – Director

iii. नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम – Managing Director

iv. मेयर, मुजफ्फरपुर नगर निगम – Director

v. प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार सरकार – Director

vi. प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार – Director

vii. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर – Director

viii. प्रबंध निदेशक, बुडको – Director

ix. दो स्वतंत्र निदेशक।

कम्पनी के AoA में अंकित शर्तों एवं प्रावधान के अधीन उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य निदेशकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया जा सकता है।

7. मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कर्मियों/पदाधिकारियों के पदों का सृजन राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

8. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–03.10.2017 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0–18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1580.00 करोड़ (पन्द्रह सौ अस्सी करोड रू0 मात्र) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में 490.00 करोड़ (चार सौ नब्बे करोड रू0 मात्र) एवं कम्पनी के निबंधन के लिए 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपये राज्यांश के रूप में व्यय की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

4/10/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

05/10/17

ज्ञापांक :–03/SMART CITY-02-01/2016 (पार्ट) 2262 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0. संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार रापपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/SMART CITY-01-02/2016 (पार्ट) 2262 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक–05/10/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा,/अवर सचिव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।